

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :- 02/2021

इसी आराजी के संबंध में सीआरपीसी 145/146 के तहत मुकदमा विचाराधीन है। इसलिए धारा 212 के तहत कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रकरण सं० 06/19 (75 आरएएक्ट), 01/20 अन्तर्गत धारा 145/146 सीआरपीसी, 01/20 (अन्तर्गत धारा 188 आरटीएएक्ट) और 02/20 (अन्तर्गत 212 आरटीएएक्ट) सभी एकही आराजी चक 14 बीडी'ए' के मु०नं० 134/15 से संबंधित है।

इसमें मुख्य फैसल किए जाने लायक बिंदू यह है कि क्या उक्त भूमि नत्थूराम के सभी वारिसों के नाम दर्ज होनी चाहिए या नत्थूराम के पुत्र हनुमानराम के नाम जरिये वसीयत दर्ज होनी चाहिए।

इस बिंदू का फैसला केस नं० 06/19 में किया जाएगा।

वर्तमान वाद 02/20 (अन्तर्गत धारा आरटीएएक्ट) में आगामी आदेशों तक रिकॉर्ड पर स्टे दिया गया है। अदालत का मानना है कि इन केसेज को मर्ज कर सुनना आवश्यक है।

इसलिए अदालत यह आदेश करती है। इस प्रा०पत्र में 07.01.20 में जारी किया गया स्थगन आदेश प्रकरण सं० 06/19 का फैसला होने तक प्रभावी रहेगा।

कब्जे संबंधी विवाद का निपटारा वाद सं० 01/20 (अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी) में किया जायेगा। इसलिए इस प्रा०पत्र और वाद सं० 01/20 (अन्तर्गत धारा 188 आरटीएएक्ट) में आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

